कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची ।

Email : pccfwljharkhand@gmail.com

पत्र संख्या :– रांची, दिनांक

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
झारखण्ड, रांची।

विषय – दिनांक 10.03.2015 को माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड की अध्यक्षता में सम्पन्न झारखण्ड राज्य वन्य जीव पर्षद की 7वीं बैठक की कार्यवाही।

प्रसंग – इस कार्यालय का ज्ञापांक 458 दिनांक 24.04.2015

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सादर सूचित करना है कि लिपिकीय भूल के कारण प्रसंगाधीन पत्र द्वारा प्रेषित उक्त बैठक की कार्यवाही में कतिपय त्रुटियां हो गयी थीं, जिनका निराकरण कर उक्त बैठक की कार्यवाही पुनः इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है। साथ ही सभी संबंधित को भी उसकी प्रतियां प्रेषित की जा रही हैं। प्रसंगाधीन पत्र द्वारा पूर्व में प्रेषित बैठक की कार्यवाही को अमान्य समझा जाय।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आपका विश्वासी
ह०/–
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक,
झारखण्ड, रांची।

अनु०–यथोक्त।

ज्ञापांक – दिनांक –

प्रतिलिपि – माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव को उक्त विषयक बैठक के संशोधित कार्यवाही की विवरणी अनुलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक – दिनांक –

प्रतिलिपि – श्रीमति मेनका सरदार, माननीय सदस्य विधान सभा को उक्त विषयक बैठक के संशोधित कार्यवाही की विवरणी अनुलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक – दिनांक –

प्रतिलिपि – श्री ताला मराण्डी, माननीय सदस्य विधान सभा को उक्त विषयक बैठक के संशोधित कार्यवाही की विवरणी अनुलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक – दिनांक –

प्रतिलिपि – श्री राज सिन्हा, माननीय सदस्य विधान सभा को उक्त विषयक बैठक के संशोधित कार्यवाही की विवरणी अनुलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक – दिनांक –

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार को उक्त विषयक बैठक के संशोधित कार्यवाही की विवरणी अनुलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक – 478 दिनांक – 29/04/15

प्रतिलिपि – श्री ए0एन0 शरण, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि/श्री ए0 के0 पाण्डेय, तत्कालीन मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी, झारखण्ड, रांची/ डा0 पी0 लक्ष्मी नारायण, वैज्ञानिक, बोटानिकल सर्वे ऑफ इन्डिया के प्रतिनिधि/ डा0 सुनील कुमार, प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पर्यटन विकास निगम/ श्रीमती शालिनी श्री, उप निदेशक, सू0ज0ई0/ श्री ओ0पी0 लाल, सेवानिवृत प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार/ श्री एम0पी0 सिंह, सेवानिवृत उप कुलपति, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग/ डा0 के0 के0 नाग, सेवानिवृत, उप कुलपति, रांची विश्वविद्यालय/ डा0 अमर सिंह, कुल सचिव, निलाम्बर पितामबर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर/ डा0 एम0 एच0 सिद्दकी, डीन फैकल्टी ऑफ फोरेस्ट्री, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची/ डा0 सुधांशु कुमार, व्याख्याता, वनस्पति विज्ञान, रांची विश्वविद्यालय/ श्री संगम लाहिरी, सेवानिवृत वन प्रमंडल पदाधिकारी/ डा0 डी0 एस0 श्रीवास्तव, नेचर कन्जरवेशन सोसाईटी, मेदिनीनगर को उक्त विषयक बैठक के संशोधित कार्यवाही की विवरणी अनुलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/04/15
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक,
29/04/15 झारखण्ड, रांची।
29/4

(89)

दिनांक 10.03.2015 को सम्पन्न झारखण्ड राज्य वन्यजीव पर्षद् की 7वीं बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति : सूची संलग्न।

सर्वप्रथम प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड–सह–सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य वन्य जीव पर्षद् के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड–सह–अध्यक्ष, झाारखण्ड राज्य वन्य जीव पर्षद्, बैठक में सदस्य के रूप में उपस्थित माननीय विधायकगण, केंद्र और राज्य सरकार के पदाधिकारीगण एवं गैर–सरकारी सदस्यों का स्वगत किया गया। सभी की जानकारी हेतु सदस्य सचिव द्वारा झारखण्ड सरकार, वन एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना संख्या–801, दिनांक 20.02.2015, जिसके द्वारा झारखण्ड राज्य वन्य जीव पर्षद् का पुनर्गठन किया गया है, को पढ़कर सुनाया गया। साथ में, वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत पर्षद् के दायित्वों को भी पढ़ कर सुनाया गया।

तदोपरान्त अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही आरंभ की गयी एवं कार्यावली पर क्रमवार चर्चा की गयी, जिसकी कार्यवाही निम्नवत् है :–

कार्यावली क्र0–1 : झारखण्ड राज्य वन्य जीव पर्षद् की दिनांक–20.12.2012 को संपन्न बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि एवं कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन।

1. दिनांक–20.12.2012 को संपन्न झारखण्ड राज्य वन्य जीव पर्षद् की बैठक की कार्यवाही को सर्वसम्मति से संपुष्ट किया गया।
2. झारखण्ड राज्य वन्य जीव पर्षद् की पूर्व की बैठकों में लिये गये निर्णयों के संदर्भ में कृत कार्रवाई प्रतिवेदन :

(क) 5वीं बैठक (दिनांक–07.10.2010)

कार्यावली क्र0–5 : कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी के लोकाई RF में कीमती पत्थरों के अवैध उत्खनन् स्थल के denotification के संदर्भ में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड (सदस्य सचिव) के द्वारा अवगत कराया गया कि झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम अथवा किसी अन्य संस्थान से अभीतक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अतएव, इसे समाप्त करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम या किसी अन्य प्रयोक्ता संस्थान/ Project Proponent से नियमानुसार प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो उसे राज्य वन्य जीव पर्षद् के समक्ष विचारार्थ लाया जायेगा।

(ख) 6वीं बैठक (दिनांक–20.12.2012)

कार्यावली क्र0–3 से 14 : चूँकि सिंहभूम गज आरक्ष वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है अर्थात् उसे legal status प्राप्त नहीं है, अतएव इस गज आरक्ष में गैर–वानिकी गतिविधियों पर भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र दिनांक–19.12.2012 से जारी Guidelines लागू नहीं होते हैं। इस प्रकार इन खनन् पट्टों के लिये राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड (NBWL) से clearance की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतएव, इसे समाप्त करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

कार्यावली क्र0–2 : राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत हजारीबाग जिला के चौपारण प्रखण्ड में ग्राम चौपारण से चोरदाहा तक 11 KV का भूमिगत विद्युत ट्रान्समिशन केबुल बिछाने हेतु गौतम बुद्ध वन्यप्राणी आश्रयणी में 18.795 हे0 वन भूमि के अपयोजन के लिये राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड (NBWL) को भेजने हेतु झारखण्ड बिजली वितरण निगम के प्रस्ताव को राज्य वन्य जीव पर्षद् द्वारा विचारोपरांत सर्वसम्मति से अनुशंसित किया गया।

कार्यावली क्र0–3 : राष्ट्रीय राजमार्ग–2 के औरंगाबाद से बरवाअड्डा खण्ड, जो गौतम बुद्ध वन्यप्राणी आश्रयणी से होकर उसके तथा पारसनाथ वन्यप्राणी आश्रयणी और तोपचांची वन्यप्राणी आश्रयणी की सीमा से 10 कि0मी0 के अंदर से होकर गुजरता है, के चौड़ीकरण (4 लेन से 6 लेन) के लिये राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड (NBWL) को भेजने हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के प्रस्ताव को राज्य वन्य जीव पर्षद् द्वारा विचारोपरांत सर्वसम्मति से अनुशंसित किया गया।

कार्यावली क्र0–4 : राष्ट्रीय राजमार्ग–32 के झारखण्ड–पश्चिम बंगाल सीमा से चांडिल (झारखण्ड) में राष्ट्रीय राजमार्ग–33 तक का अंश, जो दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी के इकोसेंसिटीव जोन से हो कर गुजरता है, के पुनर्वास एवं उन्नयन के लिये राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड (NBWL) को भेजने हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के प्रस्ताव को राज्य वन्य जीव पर्षद् द्वारा विचारोपरांत सर्वसम्मति से अनुशंसित किया गया।

कार्यावली क्र0–5 : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत लावालौंग वन्यप्राणी आश्रयणी से होकर गुज़रने वाले "लावालौंग से मंधनियाँ और मंधनियाँ से सेहदा" पथ के ग्रामीण संचार व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के हित में उन्नयन (कालीकरण सहित) के लिये राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड (NBWL) को भेजने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड (कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल, चतरा) के प्रस्ताव को राज्य वन्य जीव पर्षद् द्वारा विचारोपरांत सर्वसम्मति से अनुशंसित किया गया।

कार्यावली क्र0–6 : श्री सजल चक्रवर्ती, भा.प्र.से. को राँची, पलामू, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम जिलों के लिए वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा–4(bb) के अधीन अवैतनिक वन्यप्राणी प्रतिपालक (Honorary Wildlife Warden) के रूप में नियुक्ति पर राज्य वन्य जीव पर्षद् द्वारा विचारोपरांत अनुशंसा/स्वीकृति प्रदान की गयी।

अन्यान्य :

1. बैठक में सदस्यों द्वारा राज्य वन्यजीव पर्षद् की बैठक नियमित अंतराल पर किये जाने का सुझाव दिया गया, ताकि वन्यप्राणियों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के विषयों पर चर्चा हो सके एवं संरक्षित क्षेत्रों (वन्यप्राणी आश्रयणी/राष्ट्रीय उद्यान) को प्रभावित करनेवाले विकास परियोजनाओं पर विचारोपरांत निर्णय लिया जा सके। अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि पर्षद् की बैठक नियमित अंतराल पर (यथासंभव 03 माह के अंतराल पर) आयोजित की जाय।

2. डॉ0 अमर सिंह ने सुझाव दिया कि राज्य के वन्यप्राणी आश्रयणियों एवं राष्ट्रीय उद्यानों में वनों एवं वन्यप्राणियों के status की अद्यतन जानकारी उपलब्ध करा ली जाय, ताकि वन्यप्राणियों एवं उनके पर्यावास के उपयुक्त प्रबंधन हेतु निर्णय लेने में सहायता मिल सके। इससे संरक्षित क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले विकास परियोजनाओं पर निर्णय लेने में भी सहायता मिलेगी। डॉ0 डी0एस0 श्रीवास्तव के द्वारा राज्य के लिए हाथी संरक्षण प्लान बनाने की आवश्यक्ता बताई गई। अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि विभाग एक छोटी समिति गठित कर तीन महीने के अंदर स्टेटस रिपोर्ट तैयार कराया जाय एवं पर्षद् की अगली बैठक में इसे प्रस्तुत किया जाय।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्य प्राणी
प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची

उपस्थिति :–

1. श्री रघुवर दास, माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड — अध्यक्ष
2. श्रीमती मेनका सरदार, माननीय सदस्य विधानसभा
3. श्री ताला मराण्डी, माननीय सदस्य विधानसभा
4. श्री राज सिन्हा, माननीय सदस्य विधानसभा
5. श्री ए.के. सिंह, भा.प्र.से., प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार
6. श्री बी.सी. निगम, भा.व.से., प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची — सदस्य सचिव
7. श्री ए.एन. शरण, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि
8. श्री ए.के. पाण्डेय, भा.व.से., मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी, झारखण्ड, राँची
9. डॉ. पी. लक्ष्मीनारायण, वैज्ञानिक, बोटानिकल सर्वे ऑफ इण्डिया के प्रतिनिधि
10. श्री सुनील कुमार, प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड पर्यटन विकास निगम
11. श्रीमती शालिनी श्री, उप निदेशक, सू.ज.ई.
12. श्री ओ.पी. लाल, सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
13. श्री एम.पी. सिंह, सेवानिवृत्त उप कुलपति, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग
14. डॉ. के.के. नाग, सेवानिवृत्त उप कुलपति, राँची विश्वविद्यालय
15. डॉ. अमर सिंह, कुल सचिव, निलाम्बर–पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर
16. डॉ. एम.एच. सिद्दकी, डीन फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची
17. डॉ. सुधांशु कुमार, व्याख्याता, वनस्पति विज्ञान, राँची विश्वविद्यालय
18. श्री संगम लाहिरी, सेवानिवृत्त वन प्रमंडल पदाधिकारी
19. डॉ. डी.एस. श्रीवास्तव, नेचर कन्जरवेशन सोसाईटी, मेदिनीनगर।

.....